

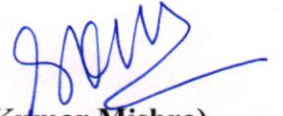
(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

**eF. No. 6/2(ii)/2026-BO-I
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services**

New Delhi, Dated the 12 August 2026
Shravan 21, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Naresh Kumar Vashisht (DoB: 14.03.1974) as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of Bank of Maharashtra, for a period of three years from the date of issuance of this notification, or until further orders, whichever is earlier.



**(Sanjay Kumar Mishra)
Under Secretary to the Government of India**

To
The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई एफ . संख्या. 6/2(ii)/2026-बीओ-I

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त, 2026

श्रावण 21, 1948 (शक)

अधिसूचना

बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, श्री नरेश कुमार वशिष्ठ (जन्म तिथि: 14.03 .1974) को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है।



(संजय कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, रिंग रोड

नई दिल्ली